

14 $\frac{5}{15}$

बीडारींग बसिकारी महोदय प्रमोद / अवकाश पर 1
आदमी पुनर्निवार दिनांक 25-6-15 को पेश है

(Handwritten signature)

25/5

बीडारींग बसिकारी महोदय प्रमोद / अवकाश पर 1
आदमी पुनर्निवार दिनांक 18/11/15 को पेश है

(Handwritten signature)

2-7-15

आज पंचायती राज (बल्लू) अदालत -
अभिमान न्याय करपके इतरे केपं सीकरे
से प्रहृतन दुई / पंचायती का अकलिकन डिप
अकेरा अकेवरी पाले बाकूलाल जाति साहा
नि. कादिलपुर एही सीकी तहलील नगर नै
धारा 136 L.R. में के अन्वय अर्थना. पर
अहृत नर निवेदन किया है कि आ-उ-नं
 $\frac{195}{0.06}$ का $\frac{3}{32}$ हिं $\frac{196}{0.04}$, $\frac{157}{0.05}$, $\frac{198}{0.05}$ क्रिना 3
रकम 0.14 का $\frac{1}{32}$ हिं नके शक कादिलपुर
एही सीकी अकेरा ने गंगा लहाप अकेरापी
कोर सालो हे जट्टे बमनाथ दि 25-2-2011
को रूप किया था, सबन के बमनाथ को दोये
जति प्रहृतन की है त्रिना अकेरा की जाति
ब्राह्मण दर्ज है, लेकेन नामन्ताकण दर्ज
कारे समथ ब्राह्मण के बजाय सालो दर्ज कर
के है। कारे अकेरा की जाति सालो के बजाय
ब्राह्मण दुकरन की जावे।

तहलील नर नगर है जेल रिपोर्ट
तलक की गई। तहलील नर ने अपनी शैल -
- लगाना



तारीख
हुयम

हुयम की कार्यवाही इनिशियल्स जज

न
अ
हुयम

पर्याप्त मात्रा में अंकित किया है कि, उपरोक्त
गोताबिलान ने बताया कि ओम्बवती पाले
काबूलाल की जमाने को हटाया है। इस तरह
की माली जाते की नोट मारुला कारमिलडु-
पडी सीकरी में नही है, ओम्बवती की जाति
राजस्व रिकॉर्ड में माली गलत दर्ज कर
गई है, अतः कसबाप के 25.2.71 के अनुसार
जाति शुद्ध किया जाना उचित है अतः
आदेश है कि अर्चना-पन स्वीकार किया,
जसा है तथा ~~कसबाप~~ तहसील नगर को
आदेशित किया जाता है कि - आ.स.नं.
195 का 3/32 के 196, 197, 198 का 1/32
0.06 का 3/32 के 0.04, 0.05, 0.05 का 1/32
के नाने आफ कारमिलडु पडी सीकरी तह-नगर
में अर्चना ओम्बवती पाले काबूलाल की
जाति माली के स्थान पर जोहाराण शुद्ध
की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड
में अंकन किया जावे, सहित जाते हो।
पतावानी कसबाप शुद्ध होकर दाखिल इफ्तदा

(अर्चना-पन)
(अर्चना-पन कारमिलडु)
1954 पत्र

(हेमल परडवाल)
दोहाली अधिकारी
उप सचिव अधिकारी
नगर (भरतपुर)